फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान

केसर देवी बनाम सरकार

नं0 :– 19/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान दस्तावेज सूची पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 23.06.2025 को पेश हो।	
23.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में लिखित बहस में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम चौमुखा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 258/287 रकबा 1.2700है0 जिसके गत खसरा नम्बर 1421/1529 स्थित है। प्रार्थीया ने करीबन 20 वर्ष पूर्व कय की हुई भूमि है। जिसमें वर्तमान मे चारों ओर तारबन्दी करके मौके पर गैहू, गाजर की फसल बो रखी है तथा करीबन 150 नीम्बू के पेड, 100 पेड आवले के लगा रखे है। हाल सैटलमेंट में नवीन खसरा नम्बर 258/287 कायम किया गया जिसमे बिना मौका देखे एवं बिना साबिक खसरा को देखे ही हाल नक्शें को कब्जा काश्त व पूर्ण रिकार्ड के विपरित किया जाकर अन्य स्थान पर कब्जा काश्त से करीब 900 मीटर की दूरी पर गलत रूप से कायम कर दिया। जो कि उक्त नक्शा त्रुटिपूर्ण होकर आज दिनाक तक चला आ रहा है। तहसीलदार ने उक्त आराजी का मौके पर खसरा नम्बर 1421 मे काबिज काश्त बताया गया परन्तु नवीन सेटलमेंट नक्शें मे तरमीम गत खसरा नम्बर 1421 मे ही अलग जगह कर दी गई और एकीकरण नक्शें में तरमीम की हुई नही है बताया गया है। जिसको दुरूस्त करने के माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट, एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त वादांकित भूमि खसरा नम्बर 258/287 रकबा 1.27है0 भूमि किस्म बारानी 3 की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि एकीकरण खसरा नम्बर 1421 मे से 2 बीघा भूमि आवंटित है। जो प्रार्थीया द्वारा सन 2004 में कय की गई है। प्रार्थीया गत खसरा नम्बर 1421 मे काबिज काश्तकार है परन्तु नवीन सैटलमेंट मे नक्शें मे तरमीम गत खसरा नम्बर 1421 मे ही अलग जगह कर दी गई। एकीकरण नक्शें मे तरमीम की हुई नही है एवं नक्शा जीर्ण–शीर्ण एवं फटा हुआ है। रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित नही है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू	

राजस्व-अधिनियम को खारिज करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।